

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2, सामुदायिक मन्दिर, प्रीत विहार,
दिल्ली-110092

न० * 5011/2/सीके/03/421-6430

दिनांक 25/4/06

कार्यालय आदेश

समस्त विभागाध्यक्षों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि उनके आवास पर प्रदान किए गए दूरभाष की समानक आर्थिक सीमा 2800 रु० प्रतिमाह है। यदि इस सीमा से अधिक कॉलें होती हैं तो उनका भुगतान बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने पर ही किया जाएगा। इसलिए यह अनुरोध है कि इस संबंध में किफायत के पर्याप्त उपाय किये जाएं।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जमरी किया जाता है।

शशि भूषण

॥ शशि भूषण ॥
संयुक्त सचिव ॥ प्रशा. एवं विधि ॥

प्रति:

1. सचिव महोदय के निजी सहायक।
2. परीक्षा-नियंत्रक महोदय के निजी सहायक।
3. विभागाध्यक्ष ॥ विशेष परीक्षा ॥ के निजी सहायक।
4. सभी डी. डी. ओ. ॥ मुख्य कार्यालय ॥ ए. आई. ई. ई. ई., क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, पी. एम. टी.।